

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2351
गुरुवार, 12 मार्च, 2026 /21 फाल्गुन, 1947 (शक)

आईटी सेक्टर में छंटनी

2351 सुश्री दोला सेन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आईटी और आईटी-सक्षम सेवा (आईटीईएस) क्षेत्रों में नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है;
- (ख) उस अवधि के दौरान आईटी/आईटी-सक्षम सेवा (आईटीईएस) की बंद हुई इकाइयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ने प्रभावित कर्मचारियों के लिए कोई सहायता उपाय तैयार किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): 'श्रम' समवर्ती सूची के अंतर्गत एक विषय होने के कारण, इसे केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में लागू किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य क्षेत्र में अनुपालन, राज्य श्रम प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

मौजूदा श्रम कानूनों के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा (आईटीईएस) क्षेत्र सहित अधिकांश निजी प्रतिष्ठान, राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं, जिससे वे इन प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए समुचित प्राधिकरण बन जाते हैं।
